कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

//निविदा आमंत्रण सूचना//

जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर हेतु कोविड–19 से बचाव हेतु प्लास्टिक के पर्दे मय चेनल सामग्री के कय बावत सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक व्यापारी/विकेता/निर्माता अपनी निविदायें सीलबंद कर पूर्ण जानकारी सहित जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में दिनांक 20.01.2021 को दोपहर 2.00 बजे तक आवक–जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 20.01.2021 को सांय 5.00 बजे जिला न्यायालय में गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदायें जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्तें एवं सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट **www.mphc.gov.in** एवं जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट **www.districts.ecourts.gov.in/gwalior** पर भी उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

:: निविदा शर्तें ::

1– सील बंद निविदायें जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के नाम से दिनांक 20.01.2021 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकेगीं। उक्त निविदा दिनांक 20.01.2021 को सांय 5.00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष जिला न्यायालय में गठित निविदा समिति द्वारा खोली जावेगी।

2– जिस सामग्री के संबंध में निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम निविदा फार्म पर स्पष्ट लिखा जावे।

3– नियत दिनांक एवं समय के पश्चात निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– आदेशानुसार सामग्री न्यायालय तक पहुंचाये जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।

5– जिला न्यायाधीश ग्वालियर को यह अधिकार होगा कि, निविदा खोलते समय यदि किसी सामग्री की दर अन्य निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों से अपेक्षाकृत कम है तो ऐसी स्थिति में दरों के आधार पर एवं गुणवत्ता के आधार पर निविदाकर्ता से अनुबंध किया जावेगा एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।

6– निविदाकार द्वारा दी गई सूची की सामग्री आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु निर्धारित तिथि तक बाध्य होगा।

7– प्रदाय की गई सामग्री निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सभी सामग्री निविदाकार को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा चाही गई सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी।

8– निविदा से संबंधित शर्ते एवं प्रदाय किये जाने वाले सामान की सूची उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की बेवसाईट **www.mphc.gov.in** एवं जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट **www.districts.ecourts.gov.in/gwalior** से डाउनलोड की जा सकती है।

9– सामग्री का आदेश प्राप्त होने पर सामग्री निर्धारित अवधि में प्रदाय करनी होगी।

10– निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा में वाणिज्यकर/जीएसटी पंजीयन अंकित होना आवश्यक है।

11– चाही गई सामग्री के नमूने निविदा खोली जाते समय निविदा समिति के द्वारा मॉगे जाने पर निविदाकर्ता द्वारा दिखाया जाना होगा।

12– किसी भी शर्त के भंग होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13– शासन द्वारा लागू जीएसटी की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा।

14– सम्पूर्ण सामग्री की दरें समस्त करों सहित दी जाये ।

15– लगने वाले प्लास्टिक के पर्दो की माप आदि के संबंध में जिला न्यायालय ग्वालियर में कार्यालयीन समय में आकर न्यायालय कक्ष एवं अनुभागों की माप ली जाकर, माप अनुसार दरें प्रस्तुत की जा सकेगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

नाम एवं पता :–